फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00194

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री भंवर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह
जाति –
निवासी कारोली,
तहसील आबूरोड जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
उपखंड अधिकारी
रेवदर

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

**मुकदमा नं. 19 वर्ष 2019**

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.09.2019 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 24.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्री मोटाराम पुत्र हमीरजी जाति रेबारी निवासी डाक के कृषि भूमि का दिनांक 14.10.2015 का संपरिवर्तन आदेश की संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 24.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्री मोटाराम पुत्र हमीरजी जाति रेबारी निवासी डाक के कृषि भूमि का दिनांक 14.10.2015 का संपरिवर्तन आदेश की संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी, रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br><br>(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Scanned by CamScanner